न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 10/2020 निर्णय दिनांक –10.06.2020

श्री सुखलाल पिता भागीरथ जाति धाकड आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0। – प्रार्थी

//बनाम//

1. श्री लखन पिता श्री रतनलाल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. श्री लोकेन्द्रसिंह पिता मंगलसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी शिवगढ तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. श्री राजेन्द्रसिंह पिता दलपत सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी शिवगढ तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बेनपुरी कलॉ पटवार हल्का भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 111 की आराजी नं0263 रकबा 2.0200 हैक्टेयर, आराजी नं0 264 रकबा 1.8000 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 3.8200 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा बेनपुरी कलॉ पटवार हल्का भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 111 की आराजी नं0 263 रकबा 2.0200 हैक्टेयर, आराजी नं0 264 रकबा 1.8000 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 3.8200 हैक्टेयर, की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.04 00:33:39 IST
Reason: SelfAttested